

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

### शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 9 की पंक्ति 31 में "30" के स्थान पर "30 या कोई अध्याय" पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 33 की पंक्ति 35 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप करें ;
- (iii) पृष्ठ 33 की पंक्ति 37 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप करें ;
- (iv) पृष्ठ 33 की पंक्ति 39 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप करें ;
- (v) पृष्ठ 51 की पंक्ति 34 में "चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य" के स्थान पर "चश्में [संशोधक से भिन्न]" पढ़ें ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार